25

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 378-तीन/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-1-2007 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 221/2006-07 निगरानी

1- बंशरूप पाठक पुत्र सरजूप्रसाद पाठक
2- निदेशभूषण देव पाठक पुत्र बंशरूप पाठक
3- बबलू उर्फ वृजेन्द्र किशोक पुत्र श्यामसुन्दर पाठक
निवासी ग्राम उजनेही तहसील नागौद जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

आम जनता द्वारा त्रिविक्रम सिंह
पुत्र परम कपोल सिंह परिहार
ग्राम उजनेही तहसील नागोद जिला सतना। ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 221/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दि0 3-1-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त जसो तहसील नागौद के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम उजनेही की आ0क0 29. 31,32 के अंश भाग पर प्रचलित रास्ता है किन्तु आवेदकगण द्वारा अतिकमण कर कब्जा किया जा रहा है इसलिये स्थगन दिया जाय। नायव तहसीलदार वृत्त जसो ने

प्रकरण कमांक 13/05-06 पॅजीबद्व किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 27-9-2006 पारित करके स्थगन आदेश जारी किया। आवेदकगण ने इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 29/06-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-11-2006 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 221/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-1-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी रास्ता नहीं रहा है किन्तु नायव तहसीलदार वृत्त जसो ने जल्दवाजी करके बिना मौका देखे ही यथास्थिति का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार अपर कलेक्टर सतना ने नायव तहसीलदार का रिकार्ड तक नहीं बुलाया है और ग्राह्यता के स्तर पर निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है। जब अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को प्रकरण की वास्तविक स्थिति बताते हुये निगरानी की गई एंव उनसे प्रार्थना की गई कि नायव तहसीलदार वृत्त जस्सो ने जल्दवाजी करके बिना मौका देखे ही यथास्थिति का आदेश पारित किया है, उन्होंने भी यह मानकर आदेश दि0 3-1-2007 से निगरानी निरस्त करने में गलती की है कि यथास्थिति से आवेदकगण को क्या नुकसान हुआ है बताने में विफल रहे हैं जबकि आवेदकगण स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्राम उजवेही की आ0क0 29.31,32 पर कभी रास्ता नहीं रहा है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक निज हित में मुकदमा नहीं लड़ रहा है वरण सार्वजनिक हित में मुकदमा लड़ रहा है क्योंकि आम नागरिकों के आवागमन की सुविधा का रास्ता आवेदकगण द्वारा रोका गया था और यदि आवेदकगण रास्ता रोककर स्थाई निर्माण कर लेते, स्थाई निर्माण हटाने में प्रशासन को अड़चन आती एंव आम नागरिक भी व्यर्थ मुकदमेवाजी में फसते। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 27-9-06 में निर्णीत किया है कि आवेदक अभि0 के तर्क सुनने के उपरांत अनावेदकगणों के विरूद्व प्रा0स्थगन आदेश दिया जाता है मौके पर यथास्थिति कायम रखी जाय। पेशी 9-10-06--स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार ने आमनागरिकों के हितों पर ध्यान देकर यथास्थिति रखने का अस्थाई आदेश दिया है एंव पक्षकारों की सुनवाई हेतु पेशी 9-10-06 नियत की है, जब आवेदकगण के पास नायव तहसीलदार के समक्ष आगामी पेशी पर पक्ष रखने, दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है, तब वरिष्ठ न्यायालयों में इसी तथ्य को प्रमाणित करने एंव पुष्टिकरण करने के लिये निगरानी करना व्यर्थ है जिसके कारण निगरानी सारहीन एंव व्यर्थ है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक 29/06-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-11-2006 से एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 221/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-1-2007 आवेदकगण की निगरानी निरस्त की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 221/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-1-2007 यथावत् रखते हुये तहसीलदार नागौद को निर्देश दिये जाते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में निगरानी प्रचलित रहने से प्रकरण वर्ष 2006 से व्यर्थ लम्बित है जिसके कारण समस्त हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण 90 दिवस के भीतर कर दिया जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर